

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 3/2023

निर्णय दिनांक :- 30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जयें तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

रामनारायण पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :-

पेरोकार सरकार

एकपक्षीय कार्यवाही  
विरुद्ध अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू-राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी रामनारायण पुत्र कालू जाति गुर्जर को दिनांक 26.10.1977 को ग्राम थांवला में खसरा नम्बर 1275/1 में रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 2947 रकबा 0.65 है0 दर्ज किया गया एवं ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बडला बनने से ख. नं. 2947 रकबा 0.65 है0 से नये ख. नं. 2531 रकबा 0.65 है0 दर्ज किया गया। उक्त गैर खातेदार को ग्राम बडला खसरा नम्बर 2531 रकबा 0.65 है0 में से रकबा 0.62 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख. नं. 3350/2531 रकबा 0.03 किस्म बासानी 1 गैर खातेदार रामनारायण पुत्र कालू गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आवंटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 में अंकित भूमि में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी बावजूद तामिल असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।


D. D. S.

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तरण पंजिका ग्राम थावला के कॉलम संख्या 11 में रामनारायण पुत्र कालू जाति गुर्जर सा. देह गैर खातेदार 26.10.1977 का अंकन है और कॉलम संख्या 12 में ख. नं. 1275/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा बंजड़ प्रथम से बारांनी 3 का अंकन है। बाद भू-प्रबन्ध ख. नं. 1275/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नये ख. नं. 2947 रकबा 0.65 है० बनाये गये। ग्राम थावला से नवीन ग्राम बड़ला बनने पर ख. नं. 2947 रकबा 0.65 है० से हाल ख. नं. 2531 रकबा 0.65 है० बनाये गये। जबकि 2 बीघा 10 बिस्वा का है० मे परिवर्तन करने पर 0.62 है० होते है अर्थात् अप्रार्थी के खाते में 0.62 है० के स्थान पर 0.65 है० भूमि लगा दी गई, जो कि 0.03 है० अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. थावला के प्रार्थना पत्र पर ख. नं. 2531 के नये व ख. नं. 3349/2531 रकबा 0.62 है० व ख. नं. 3350/2531 रकबा 0.03 है० बनाकर अप्रार्थी को ख. नं. 3349/2531 रकबा 0.62 है० के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 3350/2531 रकबा 0.03 है० भूमि आवंटन से 0.03 है० अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 3350/2531 रकबा 0.03 है० को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। अतः राजस्व दस्तावेजों का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 3350/2531 रकबा 0.03 है० भूमि वाके ग्राम बड़ला तहसील देवली से गैर अप्रार्थीगण का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली